न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 13/2024 – निगरानी

श्रीमती समंदर कंवर पत्नि बिशन सिंह चुण्डावत राजपुत, निवासी मालास, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र सवाई सिंह चौहान निवासी जालरिया ग्राम पंचायत जिन्द्रास तहसील आसीन्द 2. ग्राम पंचायत जिन्द्रास जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जिन्द्रास, पंचायत समिति आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा। 3. ग्राम पंचायत जिन्द्रास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत जिन्द्रास, पंचायत समिति आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, पुनरीक्षण ग्राम पंचायत जिन्द्रास तहसील आसीन्द द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 9–6–2022 के विरूद्ध

उपस्थित –

1. श्री अभिन्यू जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 23.07.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत जिन्द्रास के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गलत तौर से पट्टा संख्या 2 दिनांकित 9–6–2022 जारी कर दिनांक 10–6–2022 को पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा पट्टा ग्राम सोजी का खेड़ा के खसरा संख्या 754/753 में जारी किया गया है। आराजी संख्या 753 व 754 ग्राम सोजी का खेड़ा के पूर्व दिशा में निगरानीकर्ता समंदरकंवर की जायदाद आराजी संख्या 641/678 स्थित है तथा आराजी संख्या 754/753 के उत्तर दिशा में स्टेट हाईवे एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता मुख्य सड़क स्थित है। इस प्रकार ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 जिसमें विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है, उसके सटती हुई

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानीकर्ता की आराजी है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा गलत व अवैध तौर से विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने से विपक्षी संख्या 01 द्वारा अवैध व अनाधिकृत तौर से निगरानीकर्त्ता के हक व अधिकार वाली जायदाद पर अतिक्रमण किया जा रहा है, निगरानीकर्ता की जायदाद में आने जाने का रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है तथा ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत तौर से जारी पट्टे से निगरानीकर्ता के विधिक अधिकारो का हनन तो हुआ ही है, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हुई है। ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 पूर्व में बिलानाम काबिल काश्त किस्म की आराजी थी, जिसके पुराने आराजी संख्या 753/641 थे। उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने संशोधित आदेश क्रमांक राजस्व/PGKS/आबादी/2022/521 दिनांकित 11-4-2022 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये अर्थात् आराजी संख्या 753/641 को आबादी भूमि में आरक्षित करने बाबत् आदेश दिनांक 11-4-2022 को जारी हुए। तत्पश्चात् नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर आराजी संख्या 753/641 रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से 0.87 हैक्टेयर हिस्सा आराजी संख्या 754/753 आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो नामांतरण संख्या 372 दिनांकित 20-4-2022 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टा आराजी संख्या 754/753 में जारी किया गया है, जो आराजी दिनांक 20-4-2022 को आबांदी के रूप में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि पट्टा संख्या 2 को जारी करने की पत्रावली कमांक 150/2022 दिनांक 4-4-2022 को ही दर्ज हो गई है, जिसकी दायरी दिनांक 4-4-2022 है अर्थात् आबादी में भूमि दर्ज होने से पूर्व ही पट्टा प्राप्त करने बाबत् विपक्षी संख्या 01 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई और ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा ऐसी पत्रावली को दर्ज भी कर लिया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जिन्द्रास के पदाधिकारी सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के दुराशय से सारी जानकारी विपक्षी संख्या 01 को पहले दे दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आराजी राजस्व रिकॉर्ड में आबादी में ही दर्ज नही थी, तो फिर ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा क्यों पत्रावली क्रमांक कायम करके पत्रावली दर्ज की गई। इस प्रकार पत्रावली दर्ज करते

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

समय दिनांक 4-4-2022 को ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 किस्म आबादी में दर्ज नही थी और ऐसी भूमि बाबत् किया गया आवेदन प्रीमेच्योर है और पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध एवं अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास की बैठक दिनांक 11-12-2021 के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार ग्राम सोजी का खेड़ा में जनसंख्या बढ़ने व आबादी में नये परिवारो को भूखण्ड देने हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नही है, इसलिये ग्राम सोजी का खेडा की आराजी संख्या 753/641 भूमि आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि इसलिये आवंटित करवाई गई है कि ग्राम सोजी का खेड़ा की जनसंख्या बढने के कारण आबादी भूमि की आवश्यकता है अर्थात् सोजी का खेडा के निवासियो हेतु ही आबादी भूमि आवंटित हुई, परन्तु ग्राम पंचायत ज़िन्द्रास द्वारा सोजी का खेडा ग्राम के निवासियो को आबादी भूमि विक्रय नही की गई और पट्टा संख़्या 2 विपक्षी संख्या 01 को भूमि विक्रय की गई, जो ग्राम सोजी का खेडा का निवासी न होकर ग्राम जालरिया का निवासी है। इसी तरह पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 3 उदल सिंह निवासी जालरिया, पट्टा संख्या 1 श्रीमती कंवर राजपूत निवासी जालरिया हाल निवासी भीलवाड़ा, पट्टा संख्या 4 हरिलाल दरोगा निवासी जालरिया तथा पट्टा संख्या 5 दिनेश मेघवंशी निवासी जालरिया को विक्रय कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सोजी का खेडा के निवासियो को कोई भूखण्ड आवंटित या विक्रय नही किया गया और दूसरे गांव के निवासियों को भूखण्ड अवैध लाभ कमाकर विक्रय किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति महेन्द्र सिंह तो भीलवाडा का निवासी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सोजी का खेडा के निवासियो के लिये आबादी भूमि आवंटित कराई गई और दूसरे गांव के निवासियो को अवैध व अनाधिकृत तौर से भूखण्ड विक्रय कर दिये गये। इस प्रकार जारी पट्टा संख्या 2 विधि विरूद्व है और खारिज किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानो की पालना नही की गई। पंचायत द्वारा न तो कोई आम या सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई, न ही किसी तरह की आपत्ति मांगी गई। आराजी संख्या 754/753 के उत्तरी दिशा में राज्य राजमार्ग/स्टेट हाईवे स्थित है। नेशनल रोड़ कांग्रेस की गाईड लाईन व नियमो के अनुसार तथा पीडब्ल्यू डी विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्रो के अनुसार राज्य एवं राष्ट्रीय हाईवे से सटती हुई जमीन पर पट्टे जारी नही किये जा सकते है। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के परिपत्र क्रमांक SE(NH)PA/05/व/1603 दिनांकित 14–2–2005 में भी राजस्थान राजस्व (भूमि रूपांतरण) के परिपत्र एफ–2 (8) RAJ@BHU/RU Ground- 9/02/Jaipur दिनांकित 20–11–2004 के अनुसार भी आवासीय भूमि रूपांतरण हेतु सड़क के मुख्य बिन्दु से 40 मीटर तक भूमि रूपांतरण करने पर रोक है। इस प्रकार राजस्थान भूराजस्व (कृषि से अकृषि भूमि रूपांतरण नियम 1992 व अन्य सुसंगत विधियो व नियमो की अवहेलना करते हुए राज्य राजमार्ग के बिल्कुल सटती हुई जमीन पर पट्टे जारी करने में ग्राम पंचायत जिन्द्रास ने गंभीर त्रुटि की है, जो नियमो के विपरीत होने से पट्टे खारिज किये जाने योग्य है। पट्टे में दर्शाये गये भूखण्ड के पश्चिमी दिशा में ग्राम जिन्द्रास जाने वाली पक्की डामरीकृत मुख्य सडक है और नियमानुसार इस मुख्य सडक के केन्द्र बिन्दु से 41 फिट तक आवासीय भूखण्ड बाबत् पट्टा जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास ने मुख्य सडक के बिल्कुल सटती हुई जमीन पर पट्टा जारी करके नियमो के विरूद्ध कार्य किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 79 क के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित बिलानाम भूमि पर पेड पौध लगाने का अधिकारी खातेदार को है। इस प्रकार समंदर कंवर के हक अधिकार वाली जायदाद पर गलत व अवैध तौर से पटटा जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि पुनरीक्षण याचिका की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2 दिनांकित 9–6– 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा गलत व अवैध तौर से विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने से विपक्षी संख्या 01 द्वारा अवैध व अनाधिकृत तौर से निगरानीकर्त्ता के हक व अधिकार वाली जायदाद पर अतिक्रमण किया जा रहा है, निगरानीकर्ता की जायदाद में आने जाने का रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है तथा ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत तौर से जारी पट्टे से निगरानीकर्ता के विधिक अधिकारो का हनन तो हुआ ही है, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्व की हानि हुई है। ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 पूर्व में बिलानाम काबिल काश्त किस्म की आराजी थी, जिसके पुराने आराजी संख्या 753/641 थे। उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने संशोधित आदेश क्रमांक राजस्व/PGKS/आबादी/2022/521 दिनांकित 11–4–2022 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये अर्थात् आराजी संख्या 753/641 को आबादी भूमि में आरक्षित करने बाबत् आदेश दिनांक 11–4–2022 को जारी हुए। तत्पश्चात् नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर आराजी संख्या 753/641 रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से 0.87 हैक्टेयर हिस्सा आराजी संख्या 754/753 आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो नामांतरण संख्या 372 दिनांकित 20–4–2022 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टा आराजी संख्या 754/753 में जारी किया गया है, जो आराजी दिनांक 20–4–2022 को आबादी के रूप में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि पट्टा संख्या 2 को जारी करने की पत्रावली कमांक 150/2022 दिनांक 4–4–2022 को ही दर्ज हो गई है, जिसकी दायरी दिनांक 4–4–2022 है अर्थात् आबादी में भूमि दर्ज होने से पूर्व ही पट्टा प्राप्त करने बाबत् विपक्षी संख्या 01 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई और ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा ऐसी पत्रावली को दर्ज भी कर लिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आराजी राजस्व रिकॉर्ड में आबादी में ही दर्ज नही थी, तो फिर ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा क्यों पत्रावली क्रमांक कायम करके पत्रावली दर्ज की गई। इस प्रकार पत्रावली दर्ज करते समय दिनांक 4–4–2022 को ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 किस्म आबादी में दर्ज नही थी और ऐसी भूमि बाबत् किया गया आवेदन प्रीमेच्योर है और पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध एवं अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सोजी का खेडा के निवासियो के लिये आबादी भूमि आवंटित कराई गई और दूसरे गांव के निवासियो को अवैध व अनाधिकृत तौर से भूखण्ड विक्रय कर दिये गये। इस प्रकार जारी पट्टा संख्या 2 विधि विरूद्व है और खारिज किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानो की पालना नही की गई। निवेदन है कि पुनरीक्षण याचिका की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिन्द्रास द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2 दिनांकित 9–6– 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुए विधिवततौर पटटा जारी किया हैं। ग्राम पंचायत ने 01 माह का विधिवत नोटिस आक्षेप जारी करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पटटा जारी किया गया उसमें कोई त्रुटि नहीं की हैं। विपक्षी संख्या 02 व 03 ने आबादी भूमि का ही पटटा जारी किया हैं। मौके पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा हैं, जिससे विपक्षी संख्या 02 व 03 द्वारा डीएलसी दर से राशि जमा करके पंचायतीराज अधिनियमों के तहत पटटा प्रदान किया है, जो सही है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने संशोधित आदेश क्रमांक राजस्व/PGKS/आबादी/2022/521 दिनांकित 11–4–2022 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये अर्थात् आराजी संख्या 753/641 को आबादी भूमि में आरक्षित करने बाबत् आदेश दिनांक 11–4–2022 को जारी हुए। तत्पश्चात् नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर आराजी संख्या 753/641 रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से 0.87 हैक्टेयर हिस्सा आराजी संख्या 754/753 आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो नामांतरण संख्या 372 दिनांकित 20–4–2022 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा आराजी संख्या 754/753 में से जारी किया गया है, जो आराजी दिनांक 20–4–2022 को आबादी के रूप में ग्राम पंचायत जिन्द्रास के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि पट्टा संख्या 2 को जारी करने की पत्रावली कमांक 150/2022 दिनांक 4–4–2022 को ही दर्ज हो गई है, जिसकी दायरी दिनांक 4–4–2022 है अर्थात् आबादी में भूमि दर्ज होने से पूर्व ही पट्टा प्राप्त करने बाबत् विपक्षी संख्या 01 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई और ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा ऐसी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली को दर्ज भी कर लिया गया। इस प्रकार पत्रावली दर्ज करते समय दिनांक 4–4–2022 को ग्राम सोजी का खेड़ा की आराजी संख्या 754/753 किस्म आबादी में दर्ज नही थी और ऐसी भूमि बाबत् किया गया आवेदन भी प्रीमेच्योर कहलाता है और इस प्रकार पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा पंचायतीराज अधिनियमों के विधि विरूद्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य ठहरता हैं।

कार्यालय पंचायत समिति आसीन्द के पत्रांक /पंसआ/पंचा/जांच/2023/1857 दिनांक 13.09.2023 अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा को उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिस अनुसार प्रश्नगत पटटे को विपक्षी संख्या 01 को डीएलसी दर से पटटा जारी किया गया, जबकि उसकी राशि 50000/–रूपये से अधिक थी। ऐसे में संबंधित ग्राम पंचायत को पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 154 के तहत प्रत्येक पटटे जिनकी राशि 50000/–रूपये से अधिक एवं 2,00,000/–रूपये से कम होने पर पंचायत समिति से अनुमोदन अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना पंचायत समिति से अनुमोदन कराये ही पटटे जारी कर दिये गये हैं जो विधि विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य ठहरते हैं।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि ग्राम पंचांयत ने प्रश्नगत पटटा विपक्षी को डीएलसी दर से राशि जमा कर पटटा जारी कर दिया गया हैं, जबकि ग्राम पंचायत को उक्त पटटा राज्य हित को मध्येनजर रखते हुये राजस्व आय में वृद्धि के बेहतर उपाय, विधि सम्मत किये जाने चाहिये थे। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों से परे जाकर, विधि विरूद्व तरीके से पटटे जारी कर दिये गये है, जो खारिज योग्य ठहरते है।

विकास अधिकारी पंचांयत् समिति आसीन्द की जाचं रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पटटे के पडौसों का अवलोकन किया गया, जिसमें पटटा संख्या 01 के पटटे में दक्षिण दिशा के पडौस गलत अंकित पाये गये हैं तथा विपक्षी द्वारा पुराने कब्जे के साक्ष्य हेतु कोई दस्तावेज संलग्न नही किये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर जो प्रश्नगत पटटा संख्या 02 दिनांकित 09.06.2022 जारी किया गया है, वह पंचायतीराज नियमों के विरूद्व होने से एवं राज्य हितों के विपरीत जाकर, जारी किया गया हैं, जिससे

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रश्नगत पटटा खारिज होने योग्य ठहरता हैं, ऐसे मे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जिन्द्रास द्वारा पटटा संख्या 02 दिनांकित 09.06.2022 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत जिन्द्रास पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

आत. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)